

कर राजस्व

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	(₹ करोड़) बजट 2024-2025
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	725878.24	798468.75	828675.00	935830.00
1.02.	अधिभार	0020	55103.89	88718.75	59000.00	67000.00
1.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	31017.70	35487.50	35000.00	40000.00
1.04.	शास्तियां	0020	79.28
1.05.	व्याज वसूलियां	0020	2111.91
1.06.	घरेलू कम्पनियों के बढ़ागत लाभों पर कर	0020	1923.59
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	9715.92
1.08.	विविध प्राप्ति	0020	3.11
जोड़-निगम कर			825833.64	922675.00	922675.00	1042830.00
2. आय कर						
2.01.	संग्रहण	0021	718827.05	755437.50	887325.00	1004000.00
2.02.	अधिभार	0021	53914.25	83937.50	65000.00	73000.00
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	30791.59	33575.00	38000.00	43000.00
2.04.	शास्तियां	0021	193.57
2.05.	व्याज वसूलियां	0021	3591.23
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	57.84
2.07.	विविध प्राप्ति	0021	845.79
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	25085.37	27625.00	32000.00	36000.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.66
2.11.	व्याज कर	0024	8.46
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-74.56
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर					
2.13.01.	व्यय कर	0028	15.51
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	0.21
2.13.03.	अन्य प्राप्ति	0028	2.77
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			18.49
2.14.	कृषि कल्याण उपकर	0028	0.01
2.16.	पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए कराधान और निवेश संबंधी व्यवस्था	0028	0.01
जोड़-आय कर			833259.76	900575.00	1022325.00	1156000.00
3. संपत्ति कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	1.06
3.02.	धन पर कर	0032	-10.28
जोड़-संपत्ति कर			-9.22
4. पण्य लेन - देन कर						
4.01.	वस्तु लेनदेन कर के अंतर्गत संग्रहण	0036	736.30
4.04.	गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम	0036
जोड़-पण्य लेन - देन कर			736.30
5. सीमा शुल्क						
5.01.	आयात शुल्क					
5.01.01.	बुनियादी शुल्क (स्क्रिप नामे सहित)					
5.01.01.01.	स्क्रिप के नामे को छोड़कर	0037	124355.62	139529.69	142280.85	143803.29
5.01.01.02.	विभिन्न स्क्रिप आधारित योजनाओं के कारण खाते में नामे के माध्यम से	0037	43283.09	41070.31	24684.15	38236.71
जोड़- बुनियादी शुल्क (स्क्रिप नामे सहित)			167638.71	180600.00	166965.00	182040.00

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	बजट 2024-2025	
5.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	
5.01.03.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	831.70	1030.00	940.00	
5.01.04.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0037	
5.01.05.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	
5.01.06.	समाज कल्याण अधिभार	0037	16178.79	19500.00	15200.00	
5.01.07.	स्वास्थ्य कर	0037	24.01	20.00	30.00	
5.01.08.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)	0037	23132.87	28400.00	26610.00	
<i>जोड़-आयात शुल्क</i>			<i>207806.08</i>	<i>229550.00</i>	<i>209705.00</i>	
5.02.	निर्यात शुल्क	0037	-1549.72	50.00	15.00	
5.03.	निर्यात पर उपकर	0037	852.44	1500.00	1560.00	
5.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	2456.25	2000.00	3640.00	
5.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की विक्री	0037	2.09	
5.06.	जन्तु माल की विक्री प्राप्तियां	0037	2410.06	...	2710.00	
5.07.	स्वर्ण पर सीमा शुल्क	0037	
5.08.	निधार्ति के अग्रिम भुगतान की प्राप्ति	0037	166.95	
5.09.	सुरक्षण शुल्क	0037	0.31	
5.10.	सड़क और अवसंरचना उपकर	0037	2.55	
5.11.	प्रति पाटन (एंटी डंपिंग) शुल्क	0037	1225.08	...	1050.00	
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>			<i>213372.09</i>	<i>233100.00</i>	<i>218680.00</i>	
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क						
6.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	32327.21	33100.00	34600.00	
6.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	7168.30	7750.00	7900.00	
6.05.	विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	147163.79	181500.00	145000.00	
6.06.	तम्बाकू उत्पादों पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.03	
6.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
6.07.01.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0038	0.68	
6.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	0.23	
6.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	21497.14	20540.00	18500.00	
6.07.04.	वीडी पर उपकर	0038	0.05	
6.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	0.29	
6.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	
6.07.07.	अन्य	0038	
6.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर	0038	19.75	
6.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	
6.07.10.	मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर)	0038	59232.40	45110.00	44300.00	
6.07.11.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	0038	51009.16	51000.00	53300.00	
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>131759.70</i>	<i>116650.00</i>	<i>116100.00</i>	
6.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
6.08.01.	रबड़	0038	
6.08.02.	जूट	0038	0.01	
6.08.03.	चाय	0038	0.01	
6.08.04.	तेल और तिलहन	0038	
6.08.05.	कपास	0038	
6.08.06.	तंबाकू	0038	0.03	

प्राप्ति बजट, 2024-2025

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	बजट 2024-2025	
6.08.07.	कागज	0038	
6.08.08.	नमक	0038	
जोड़-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर		0.05	
6.09.	उत्पाद के सहकारी शुल्क	0038	-36.26	
6.10.	विशेष उत्पाद शुल्क	0038	438.03	
6.11.	विद्युत उत्पादन पर उत्पाद शुल्क	0038	
6.12.	कपड़ा और कपड़े की बनी वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.13.	खनिज उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.14.	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-0.35	
6.15.	टीवी सेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-1.73	
6.16.	अन्य शुल्क	0038	25.59	
6.17.	जब्त वस्तुओं की बिक्री	0038	0.12	
6.18.	विविध प्राप्तियां	0038	155.63	
जोड़-केंद्रीय उत्पाद शुल्क		319000.11	339000.00	303600.00	318780.00	
7. सेवा कर						
7.01.	संग्रहण	0044	413.07	500.00	500.00	100.00
7.02.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0044	2.50
7.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	1.22
7.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	7.98
7.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	6.00
7.06.	अन्य प्राप्तियां	0044
जोड़-सेवा कर		430.77	500.00	500.00	100.00	
8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)						
8.01.	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	0005	718521.75	811600.00	811600.00	917650.00
8.02.	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0008	4748.29
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	125862.41	145000.00	145000.00	150000.00
जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)		849132.45	956600.00	956600.00	1067650.00	
9. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
9.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
9.02.	अन्य कर	0045	3724.25	...	4500.00	4700.00
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क		3724.25	...	4500.00	4700.00	
10. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
10.01.	भू राजस्व	0710	287.95	28.44	25.44	26.00
10.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	367.55	443.90	393.90	421.00
10.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	1458.97	1890.00	1640.00	1910.00
10.04.	बिक्री कर	0710	1317.52	1665.00	1532.00	1712.00
10.05.	वाहनों पर कर	0710	473.36	387.00	364.00	397.00
10.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	12.43	15.00	13.90	16.30
10.07.	विजली पर कर और शुल्क	0710	25.39	40.00	27.00	40.00
10.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	...	4.10	5.10	4.10
10.09.	संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	4768.12	3935.00	4330.00	4900.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर		8711.29	8408.44	8331.34	9426.40	
11. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी						
11.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-831.70	-1030.00	-900.00	-940.00
11.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-7168.30	-7750.00	-7900.00	-8500.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी		-8000.00	-8780.00	-8800.00	-9440.00	
12. घटाइए-राज्यों का हिस्सा						
		0710	-948405.82	-1021447.91	-1097342.40	-1219782.85

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	(₹ करोड़)			
		वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	बजट 2024-2025
13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0710	-7151.31	...
14. पूंजीगत संपत्ति और अन्य लेनदेनों पर कर					
14.01. स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क					
14.01.01. न्यायालयी स्टांप शुल्क - स्टांप के रूप में जारी न्यायालय शुल्क	0030	0.20
जोड़-कर राजस्व		2097785.82	2330630.53	2323917.63	2601573.55
कुल जोड़		2097785.82	2330630.53	2323917.63	2601573.55

1. **निगम कर** : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों की आय पर लगाया जाता है। 2023-2024 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 9,22,675 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 9,22,675 करोड़ रुपए है। 2024-2025 का बजट अनुमान 10,42,830 करोड़ रुपए है।

2. **आय पर कर** : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से इतर, व्यक्तियों, फर्मों आदि की आय पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2023-2024 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 9,00,575 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले 10,22,325 करोड़ रुपए है। 2024-2025 के लिए बजट अनुमान 11,56,000 करोड़ रुपए है।

वित्त वर्ष 2018-19 से (अधिभार सहित) आयकर के 4% की दर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया जाता है।

3. **संपदा कर**: धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता था। इस कर को 2016-17 से समाप्त किया गया है।

5. **सीमा शुल्क** : वर्ष 2023-24 हेतु सीमा शुल्क के लिए 2,33,100 करोड़ ₹. के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान 2,18,680 करोड़ ₹. है। वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान 2,31,310 करोड़ ₹. है।

5.01.01. **बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स के नाम के माध्यम से प्राप्त शुल्क सहित)** : सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर उग्रहणीय है।

5.01.01.01. **स्क्रिप्स के नाम को छोड़कर** : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आयातित माल पर मूल सीमा शुल्क वसूला जा सकता है।

5.01.01.02. **विभिन्न स्क्रिप आधारित स्कीमों के कारण खाते में नाम के माध्यम से** : वर्तमान योजनाओं के अलावा, कुछ ऐसी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हैं, जिनका उपयोग वर्तमान वर्ष में एफटीपी की शर्तों में पूर्व में लागू योजनाओं से संबंध में किया गया और शुल्क क्रेडिट स्क्रिप बकाए वर्तमान वर्ष में स्वीकार किए गए। किसी निर्यातक को शुल्क क्रेडिट योजना प्रदान की जाती है, जो कुछ क्रेडिट राशि की होती है, जिसका उपयोग मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। अन्य बातों के साथ निर्यात माल पर करों/शुल्कों/वसूलियों की प्रतिपूर्ति के लिए भी शुल्क क्रेडिट दिया जाता है। इन स्क्रिप को सीमा शुल्क ईडीआई में रखे गए निर्यातक के लेजर खाते में दर्ज किया जाता है। ऐसी योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) भारत से समान का निर्यात (एमईआईएस) (सं.अ. 2023-24 ₹ 243.47 करोड़, व.अ. 2024-25, ₹1937.40 करोड़)

(ii) भारत से सेवाओं का निर्यात योजना (एसईआईएस) (सं.अ. 2023-24 ₹1410.44 करोड़, व.अ. 2024-25, 961.12 करोड़ ₹.)

(iii) राज्य और केंद्रीय करों एवं वसूलियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना (सं.अ. 2023-24, ₹8051.81 करोड़, व.अ. 2024-25, ₹10858.75 करोड़)

(iv) राज्य वसूलियों पर छूट (आरओएसएल) योजना (व.अ. 2024-25, ₹152.22 करोड़,)

(v) मोबाइल फोन के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ लाभांश प्रोत्साहन (व.अ. 2024-25, ₹62.33 करोड़,)

(vi) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) (सं.अ. 2023-24 ₹14874.42 करोड़, व.अ. 2024-25, ₹22271.94 करोड़,)

(vii) टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) (सं.अ. 2023-24, ₹48.18 करोड़, ब.अ. 2024-25, ₹1302.69 करोड़,)

(viii) फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) और बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना (सं.अ. 2023-24, ₹41.51 करोड़, ब.अ. 2024-25, ₹285.28 करोड़,)

(ix) फोकस बाजार योजना (एफएमएस) (सं.अ. 2023-24, ₹0.46 करोड़, ब.अ. 2024-25, ₹90.07 करोड़,)

(x) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) (सं.अ. 2023-24, ₹0.53 करोड़, ब.अ. 2024-25, ₹72.28 करोड़)

(xi) स्टेट्स धारक प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस) (सं.अ. 2023-24, ₹0.96 करोड़, ब.अ. 2024-25, ₹133.10 करोड़,)

(xii) वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (सं.अ. 2023-24, ₹12.37 करोड़, ब.अ. 2024-25, ₹109.53 करोड़)

5.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क : सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर वसूले जाने वाले उत्पाद शुल्क के समकक्ष है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

5.01.03. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : वित्त अधिनियम, 2001 के तहत कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क वसूला जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।

5.01.07. स्वास्थ्य उप कर : यह कुछ चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में लगाया गया उप कर है।

5.01.08. कृषि अवसंरचना और विकास उप कर (एआईडीसी) : कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्त पोषण के लिए वित्त अधिनियम, 2021 के तहत कृषि अवसंरचना एवं विकास उप-कर को सीमा शुल्क के प्रभार के रूप में वसूला जाता है।

5.02. निर्यात शुल्क: कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 2023-24 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 3,03,600 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 3,39,000 करोड़ रुपए है। 2024-2025 के लिए ब.अ. 3,18,780 करोड़ रुपए है।

6.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इस शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत मिला दिया गया है। (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, जो जीएसटी में नहीं आते हैं)

6.02. मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इस शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

6.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, कुछ विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त अधिनियम, 2001 के तहत और वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।

6.05. विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क : वित्त अधिनियम, 2002 के तहत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) उग्रहणीय है। इसे सामान्य रूप से सरचार्ज कहा जाता है। मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल ऑयल (एचएसडी) के अलावा, अब एसएईडी को पेट्रोलियम कूड एवं एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर भी वसूला जाता है।

6.07.10. मोटर स्पिरिट और उच्च गति डीजल तेल पर उत्पाद सुल्क (सड़क और अवसंरचना उप कर) : अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्त अधिनियम, 2018 के तहत सड़क एवं अवसंरचना उप कर (आरआईसी) को एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में वसूला जाता है।

6.07.11. कृषि अवसंरचना और विकास उप कर (एआईडीसी) : सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ सामानों पर कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के उद्देश्य से वित्त अधिनियम, 2021 के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में कृषि अवसंरचना और विकास उप कर वसूला जाता है।

7. **सेवा कर :** सेवा कर को दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत शामिल कर लिया गया है। 2023-24 के लिए सेवा कर शेष (एरियर) का संशोधित अनुमान 500 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 500 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सेवा कर शेष (एरियर) हेतु बजट अनुमान 100 करोड़ रुपए है।
8. **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी):** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया है। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 8,11,600 करोड़ रुपए है जबकि ब.अ. 8,11,600 करोड़ रुपए है। सीजीएसटी का वित्त वर्ष 2024-25 का ब.अ. 9,17,650 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यक्षीन है। जीएसटी प्रतिपूरक उपकर के संबंध में वर्ष 2023-24 का सं.अ. और 2024-25 का ब.अ. क्रमशः 1,45,000 करोड़ रु. और 1,50,000 करोड़ रु. है।
13. **घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन:** इस राजकोषीय वर्ष में किए जाने वाले पूर्व अवधि के कर अंतरण के समायोजन के कारण राज्यों को समायोजन के रूप में 7151.31 करोड़ रु. का भुगतान किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए अतिरिक्त अंतरण के लिए 16647.35 करोड़ रु. की वसूलियों को प्रभावी बनाने के बाद, इसे भारत के सी एंड एजी द्वारा प्रमाणित के साथ तुलना करने पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए करों के वास्तविक संग्रहण और राज्यों के अनुमानित हिस्से के बीच अंतर के कारण राज्यों को 23,798.66 करोड़ रु. का भुगतान किया जाना है। ये आंकड़े अनन्तिम हैं और संघ और राज्य सरकारों से वसूली जाने योग्य किन्हीं बकाया देयताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें परिवर्तन हो सकता है।